

सं०-भा०ति०सी०पु०/तृ.वा./स्था.-2/न्या. जाँच. (कॉ/जीडी नितिन निरवाल)/2024-

कार्यालय सेनानी, तृतीय बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

गृह मंत्रालय -भारत सरकार


पत्रालय- बुखारा, जिला- बरेली (उ०प्र०)

दिनांक:-

// कारण बताओ नोटिस //

दल संख्या 180130055 कॉ०/जीडी नितिन निरवाल, 'ब' समवाय, तृतीय वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल सुपुत्र स्वर्गीय श्री अरुणपाल सिंह, निवासी ग्राम- पवन सेनेट्री वाली गली, तेज विहार रोहटा रोड, मेरठ, डाकघर-मेरठ, तहसील- मेरठ, थाना-मेरठ, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-250001 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 08.06.2024 से 26.06.2024 तक 15 दिन आकस्मिक अवकाश दिनांक 09.06.2024, 16.06.2024 एवं 23.06.2024 का रविवार तथा दिनांक 17.06.2024 का राजपत्रित अवकाश देय सहित स्वीकृत किया गया था। दिनांक 26.06.2024 (अप्राहन्) को अवकाश समाप्त होने के उपरान्त आपको अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय तृतीय वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल में देनी थी लेकिन आप बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/अवकाश के दिनांक 26.06.2024 (अप्राहन्) से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस कार्यालय द्वारा आपको वाहिनी मुख्यालय, तृतीय वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बुखारा कैम्प, जिला-बरेली (उ.प्र.) में उपस्थित होने के लिए बार-बार निर्देश दिये गए हैं, परन्तु आप वाहिनी मुख्यालय, तृतीय वाहिनी बुखारा कैम्प, जिला-बरेली (उ.प्र.) में आमद नहीं हुये। आपकी इस तरह की कार्रवाई भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम 1992 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा आपके इस अपराध के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या 5280 दिनांक 04.09.2024 के अनुसार भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) के तहत आपको दिनांक 26.06.2024 (अप्राहन्) से बल से "भगौड़ा" (DESERTER) घोषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति आपके स्थाई पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जा चुकी है।

2. इस मामले से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है और क्यों न आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली 1994 के नियम 17 एवं 20 में दिए गए प्रावधानों के तहत अनुपयुक्तता (UNSUITABILITY) पर अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सेवा से हटा दिया जाये।" यदि आप इस निर्णय के विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं तो इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकते हैं। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर यह माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा आपको बिना किसी पत्राचार के आपको "सेवा से हटा दिया जायेगा।"



कमाण्डेन्ट

तृतीय वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल

सेवा में,

दल संख्या 180130055 कॉ०/जीडी नितिन निरवाल, 'ब' समवाय, तृतीय वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल सुपुत्र स्वर्गीय श्री अरुणपाल सिंह, निवासी ग्राम- पवन सेनेट्री वाली गली, तेज विहार रोहटा रोड, मेरठ, डाकघर-मेरठ, तहसील- मेरठ, थाना-मेरठ, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-250001

प्रतिलिपि:-

थाना प्रभारी, थाना-मेरठ, जिला-मेरठ, (उत्तर प्रदेश) को इस आशय के साथ कि उक्त नोटिस की प्रति कर्मी के गृहनगर पर कर्मी को सुपुर्द कर पावती अविलम्ब इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।



कमाण्डेन्ट

तृतीय वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल

CBC 19112/11/0156/2425